

संख्या/No  
3/8/2019-उनि(मध्योत्तर)/ 1137  
भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE  
उप निदेशक ( मध्योत्तर ) का कार्यालय  
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (NORTH CENTRAL)  
हिंदी शिक्षण योजना  
HINDI TEACHING SCHEME

संख्या/No  
3/8/2019-उनि(मध्योत्तर)/ 1137  
भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE

उप निदेशक ( मध्योत्तर ) का कार्यालय

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (NORTH CENTRAL)

हिंदी शिक्षण योजना

HINDI TEACHING SCHEME

पूर्वी खंड-7, तल-6,  
East Block-7, Level-6,  
रामकृष्णपुरम/R.K. Puram,  
नई दिल्ली/New Delhi-110066

सेवा में,

संपर्क अधिकारी (हिंदी)/ प्रशासनिक अधिकारी,  
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग एवं  
राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/स्वयत्तशासी निकाय आदि  
नई दिल्ली//जयपुर/दिल्ली/जम्मू/चंडीगढ़

दिनांक/Dated... 05.11.2020

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जनवरी-मई 2021  
सत्र की ऑनलाइन / नियमित हिंदी प्रबोध , प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक  
कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

महोदय/महोदया,

भारत के राष्ट्रपति महोदय के 27 अप्रैल 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय सरकार के  
कार्यालयों, उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, बैंकों इत्यादि के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए  
सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुपालन में उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली  
द्वारा हिंदी प्रबोध , प्रवीण , प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र 4 जनवरी 2021 को  
पूर्वाह्न 10.00बजे प्रारम्भ होगा। कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले  
अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में भरकर दो  
प्रतियों में हम कार्यालय में 31 दिसंबर 2020 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कोविड 19 तथा गृह मंत्रालय के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए  
जनवरी - मई 2021 सत्र की हिंदी कक्षाएँ ऑनलाइन /नियमित रूप में चलाई जाएँगी।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं  
पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए।

...2

भारत की सभी भाषाएं बड़े, संघ का काम हिंदी में करें।

## प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों, निगमों, निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों, कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबंध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राथमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है प्रबंध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने की होगी। एकान्तर दिवस 2घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा कक्षाएं 4 जनवरी 2021 से शुरू होंगी। परीक्षाएं मई 2021 में आयोजित की जाएंगी।	जो अधिकारी/कर्मचारी इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय भाषन 80 21034/66/2103) प्रशिक्षण(दिनांक 29.07.2011)के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इन पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबंध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। मराठी सिंधी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उडिया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	वही	
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कामियों जिनकी मातृभाषा मज्जाव, उर्दू, कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र है।	पाठ्यक्रम की अवधि 5महीने एकान्तर दिवस 1.10घंटे या प्रतिदिन 1घंटा। कक्षाएं 4 जनवरी 2021 से शुरू होंगी। परीक्षाएं मई 2021 में आयोजित की जाएंगी।	
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी संभागों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/माविधिक निकायों/उद्यमों, अभिकर्ता, निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यवाहक मान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5महीने एकान्तर दिवस 2घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा कक्षाएं 4 जनवरी से शुरू होंगी। परीक्षाएं मई 2021 में आयोजित की जाएंगी।	नगद पुरस्कार का मामला विभाग विचाराधीन है।



### नोट:-

- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफकार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिक्शाई सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, गैस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/बर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ तक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।

राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "ब" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अग्रैन्, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग "ब" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके। तथा निर्धारित परीक्षाएँ पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे तकद पुरस्कार वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।

### 1. प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण

- हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रशिक्षण प्रणाली में भरा जाएगा। इसलिए सभी प्रशिक्षार्थियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भिजवाएं जिससे उनका विवरण सही सही भरा जा सके।
- प्रशिक्षार्थियों का विवरण प्रशिक्षण प्रणाली में अपलोड करने के पश्चात तत्काल उपनिदेशक/मध्योत्तर को ई-मेल द्वारा सूचित करें। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सकेगा।

### 2. परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी नियम

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मई 2021 में आयोजित की जाएगी।
- नियमित व प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र संलग्नक- III में दिनांक 15.02.2021 तक उप निदेशक(मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

### 3. परीक्षा शुल्क

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु.100 -/प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।
- पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है।



#### 4. परीक्षा शुल्क का भुगतान

- केंद्र सरकार के उपक्रमों/निगमों/बैंकों/सांविधिक निकायों के सभी नियमित व ग्राइवेट प्रशिक्षार्थियों के लिए ₹100/- प्रति प्रशिक्षार्थी के लिए परीक्षा शुल्क देय होगा।
- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है सभी परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा परीक्षा स्कंध द्वारा उनके प्रवेश-पत्र नहीं भेजे जा सकेंगे।
- परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट बैंक' की website - [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।

#### 5. पूरक परीक्षा-

- नवंबर 2020 में हुई हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षा के किन्हीं एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा मई 2021 के लिए नया आवेदन भरना होगा तथा अपने आवेदन-पत्र पर पुराना अनुक्रमांक (नवंबर 2020 में हुई परीक्षा का ) देना होगा। अनुक्रमांक के साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि परीक्षार्थी किस प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था।
- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में ₹.10/- का बैंक ड्राफ्ट देना होगा।

#### 6. पाठ्यपुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

#### 7. वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके कार्यालय/विभाग द्वारा दिया जाएगा।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।  
(अधिक जानकारी हेतु कृपया कार्यालय ज्ञापन सं-66/212820-रा.भा।प्रशिक्षण(दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें)

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
1.	प्रबोध	₹.400	₹.800	₹.1600
2.	प्रवीण	₹.600	₹.1200	₹.1800
3.	प्राज्ञ	₹.800	₹.1600	₹.2400

8. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय जापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय जापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(व) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह श्रॉनरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

9. नया केंद्र खोलना

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह हर कक्षा लिए कम से कम 15 से 20 प्रशिक्षार्थियों को नामित करने का सुनिश्चित करे। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.12.2020 तक भेजने का कष्ट करे ताकि समय रहते नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

10. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के श्रेय कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें। जिसमें राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सराहनीय होगा।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।
- सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।
- सुलभ संदर्भ के लिए अंशकालिक केंद्रों एवं नियमित प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुलग्नक-II में दी गयी है।
- कक्षाओं के गठन के संबंध में जारी किए गए निदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आस-पास के शहरों तथा फरीदाबाद, गुडगांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि पर भी लागू होंगे।



कार्यालय का पता/संपर्क सूत्र

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर),  
हिंदी शिक्षण योजना,  
पूर्वी खंड- 7, लेवल-6,  
आर. के. पुरम,  
नई दिल्ली - 110066,  
दूरभाष: 26175246/ 26191572

श्रीमती कमलेश बजाज  
उप निदेशक (मध्योत्तर)  
मो0- 986883938  
ई.मेल-ddhts-nc-dol@nic.in

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह  
सहायक निदेशक  
मो. 9560213089  
फोन : 011-26176055  
ई.मेल-cthi1148@nic.in

हिंदी प्राध्यापक	मोबाइल नंबर	ई.मेल का पता
1. श्रीमती नीपा शर्मा ( नई दिल्ली)	9899989821	cthi1227@nic.in
2 . श्री आशाराम ( नई दिल्ली)	9213107791	cthi1256@nic.in
3. श्री राजकुमार बाल्मिकी ( नई दिल्ली)	9971953257	cthi1260@nic.in
4. श्रीमती सीमा रानी ( नई दिल्ली)	9990197892	cthi1267@nic.in
5. श्रीमती शोभा कुजूर( नई दिल्ली)	9840349234	cthi1270@nic.in
6. श्रीमती सुनीता यादव( नई दिल्ली)	9654009808	cthi1284-dol@gov.in
7 श्री राजेश कुमार मीना(जयपुर)	09460474143	cthi1277@nic.in
8. श्री महेश चंद्र मीना (देवली, राज.)	09508155071	maheshgudli007@gmail.com
9. रिक्त ( जम्मू)	-----	-----
10 श्रीमती उर्मिला सैनी (चंडीगढ़)	8279230752	cthi1278@gov.in

सभी विभागाध्यक्ष/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें। साथ ही अपने कार्यालय का दूरभाष/ फैंक्स नंबर एवं ई-मेल का पता भी भेजें जिससे पत्राचार करने में सुविधा होगी।

नए पाठ्यक्रम "पारंगत" को लागू किए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट [www.raibhasha.gov.in](http://www.raibhasha.gov.in) को देखने का कष्ट करें।

भवदीया,



(कमलेश बजाज)  
उप निदेशक (मध्योत्तर)

पृष्ठांकन सं. 3/8/2019-उ नि (मध्योत्तर)/

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, 7 वाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. सभी हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ चि व अपने अपने कार्यालय में स्थित विभागों/ कार्यालयों में जाकर गहन संपर्क करके कक्षाओं का गठन करें तथा किए गए संपर्क कार्य की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2020 को अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।
5. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) 2- ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
6. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू, चण्डीगढ़ तथा जयपुर व देवली राजस्थान।
8. सहायक निदेशक (टंकण/आशु0), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकांक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
9. प्रभारी सहायक निदेशक अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11
10. प्रभारी सहायक निदेशक भाषा पत्राचार स्कंध केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11

(कमलेश बजाज)  
उप निदेशक (मध्योत्तर)







उप निदेशक (मध्योत्तर) के कार्यालय के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र	दूरभाष
1.	हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-66, (सम्मेलन कक्ष)	011-26175246
2.	सीमा सड़क भवन, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली	011-25687114
3.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली	011-23098591/4558
4.	वायु सेना अभिलेख कार्यालय, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली	011-25697551/7529
5.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन, नई दिल्ली	011-25615203
6.	वायुसेना स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	
7.	सशस्त्र सीमा बल, 25वीं बटालियन, घिटीरनी, नई दिल्ली	
8.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	011-23456396
9.	राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	
10.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली।	
11.	भारतीय खेल प्राधिकरण, ज०ला०ने०स्टेडियम, नई दिल्ली।	
12.	राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली।	
13.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, महालेखाकार का कार्यालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़	0172-2607420
14.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायुसेना हवाई अड्डा, चण्डीगढ़	
15.	आई टी बी पी, भानु चण्डीगढ़	
16.	सी आर पी एफ, लालवास, जयपुर	0141-238543139
17.	सीमा सुरक्षा बल, लबाना कैम्प, जयपुर	
18.	सी आई एस एफ, आमेर, जयपुर	
19.	दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली	
20.	दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, झंडौदा कलां, नई दिल्ली	
21.	आई.आई. एफ. सी. एल. किदवाई नगर, नई दिल्ली	
22.	31, बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मयूर विहार, फेज -3, पिन -110091	
23.	राष्ट्रीय आवास बैंक, लोधी रोड, नई दिल्ली	
24.	सीमा सुरक्षा बल, छावला, नई दिल्ली	
25.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तिलक मार्ग, नई दिल्ली	

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)  
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली

प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम/दीर्घकालिक भाषा प्रशिक्षण :

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of the Candidate: (IN BOLD LETTERS)
लिंग (सत्री/पुरुष/ अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता/पति का नाम:	Father's/ Husband name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम :	Designation:
मातृभाषा:	Mother tongue:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi :
मंत्रालय का नाम:	Name of Ministry:
विभाग का नाम :	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम:	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता : ईमेल/दूरभाष:	Full office address With Email/ phone:

परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण:  
Bank details of Examination Fees:

प्रशिक्षार्थी का दूरभाष/मो.  
Candidate's Phone/mob.

प्रशिक्षार्थी का ई मेल :  
Email id of the Candidate :

आधार सं.  
Adhaar-No.

दिनांक :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

नोट: कृपया इस प्रपत्र को द्विआबिक रूप में भरें।



## हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्धवार्षिक रिपोर्ट

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त सत्राधी की रिपोर्ट

संभालन/विभाजन/कार्यलय/निगम/बैंक/साक्षर आदि का नाम तथा पूरा पता (पिन कोड सहित)

		1	2	3	4	5
		प्रशासनिक अधिकारी		पंचालन अधिकारी		योग
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या					
2.	सद सं0 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ, पारंगत तथा हिंदी संकण/आधुनिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छुट प्राप्त कर्मचारियों की संख्या					
3.	सद सं0 1 में से	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए संकण अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए आधुनिक अंतिम परीक्षा थी।				
4.	सद सं0 1 में से सामान्य वर्गों एवं पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए संकण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए आधुनिक अंतिम परीक्षा है।				

5.	<p>मद से 01 से अधिक सामने प्रशासनिक पाठ्यक्रमों के लिए श्रेष्ठ कर्मचारियों की संख्या</p>	<p>जिनके लिए प्रवेश अंतिम परीक्षा है।                      जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।                      जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।                      जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।                      जिनके लिए संकण अंतिम परीक्षा है।                      जिनके लिए आयुनिधि अंतिम परीक्षा है।</p>					
6.	<p>वर्ग 'घ' से वर्ग 'ब' में आए कर्मचारियों की संख्या</p>	<p>जिनके लिए भाषा प्रशिक्षण दिया जाता है।</p>					
7.		<p>जिनके लिए संकण प्रशिक्षण दिया जाता है।</p>					

कार्यालय अधिकारी का नाम.....